सहा...
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

26/11/2024 आज पत्रावली पेश हुई।
पक्षकारान उपस्थित है। विस्तृत
निर्णय प्रथक से लिखवाया जाकर
शामिल पत्रावली किया गया।
बाद तकमील दाखिल दफ्तर
रिकॉर्ड भण्डार हो। सुनाया गया।
इतना लिखने के पश्चात यह भी स्पष्ट
किया जाता है कि इस प्रकरण में
पूर्व में वादी अंतरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण उपर
स्वकथन की बहस सुनने उपरान्त
खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय
उपरोक्तानुसार लिखवाया जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर
से कम होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर रिकॉर्ड भण्डार हो।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनीष कुमार जाटव
आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
91/24	30.05.2024	26.11.2024

// उनवान //

1. अशोक कुमार पुत्र श्री प्रभातीराम
2. कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रभातीराम जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–प्रार्थीगण

// बनाम //

1. शुभराम पुत्र श्री हरभगत
2. उदयराम पुत्र श्री हरभगत
3. मुकेश कुमार पुत्र श्री यादराम
4. कमलसिंह पुत्र श्री यादराम
5. मिश्रो देवी पत्नी श्री यादराम
6. हिमांशु पुत्र श्री इन्दुकान्त
7. हितेश पुत्र श्री इन्दुकान्त
8. संतोष बेवा इन्दुकान्त
9. शीशराम पुत्र श्री मेहरचन्द जातियान जाट निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।
10. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।
11. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थना पत्र आदेश नियम 1 व 2 सपठित धारा 151
जाप्ता दिवानी व धारा 212 राज0काश्त0अधि0

उपस्थितिः—1. वादीगण की ओर से श्री रामवतार चौधरी एड0।
2. प्रतिवादीगण की ओर से श्री सरजीत चौधरी एड0।

// निर्णय //

प्रा0पत्र का सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि — आराजी हाल ख0नं0 577/0.91 हे0, 585/0.24 हे0, 626/0.67 हे0, 642/0.52 हे0, 656/0.07हे0, 2406/608/0.32 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.73 हे0 व आराजी ख0नं0 623/0.47 हे0, 633/0.19 हे0, 661/0.23 हे0, 2402/566/0.10 हे0, 2404/576/0.39 हे0, 2408/608/0.59 हे0, 2410/631/0.47 हे0, 2412/654/0.76 हे0, 2413/675/0.09 हे0, 580/589/0.29 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.09 हे0 व ख0नं0 592/0.66 हे0, 622/0.57 हे0, 635/0.33 हे0, 2403/566/0.09 हे0, 2405/576/0.39 हे0, 2407/608/0.59 हे0, 2409/631/0.47 हे0, 2411/654/0.91 हे0, 2414/675/0.09 हे0 कुल किता 9 कुल रकबा 4.10 हे वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबंदी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। आराजी मुतनाजा का विधिक तकासमा नहीं हुआ है बल्कि बहामी बंटवारा अर्सा करीब 40 वर्षों से हो रहा है उसी के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीगण के पिता के फर्जी हस्ताक्षर कर तकासमा कराकर जो नम्बर अपने नाम अंकन कराया है उस आराजी के 1/2 भाग पर आज भी प्रार्थीगण काबिज हैं।
मिन प्रार्थीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः—

हरदेवा (फौत)

-- मूलाराम(फौत)

मंगतू (फौत)	हरभक्त (फौत)	मेहरचन्द(फौत)
प्रभातीराम (फौत)	यादराम(फौत), शुभराम, उदयराम	शीशराम

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अशोक कुमार कृष्ण कुमार इन्दुकान्त(फौत) कमलसिंह मुकेश मिश्रो बेवा

हिमांशु हितेश संतोष

मिन प्रार्थीगण भारतीय सेना मे नौकरी करते थे अप्रार्थी सं0 1 घर का कर्ता होने के कारण समस्त कागजाती कार्य उसी की देखरेख में होते थे वो ही करवाता था। जिसने अप्रार्थी सं0 9 से मिलकर फर्जकारी व जालसाजी से मिन प्रार्थीगण के पिता के फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त आराजी का तकासमा सडक से लगती हुई अच्छी अच्छी आराजी को अपने दोनो के नाम कराकर तकासमा करा लिया जिसकी जानकारी मिन प्रार्थीगण को नहीं थी। मिन प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी में मकान निर्माण कार्य करने लगे तो अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त आराजी में निर्माण कार्य करने से मना कर दिया तथा कहा कि उक्त आराजी का विधिक बंटवारा हो गया है जो मेरे हिस्से आयी है जिस पर मिन प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 1 की साजिश का पता चला तो मिन प्रार्थीगण ने रिकार्ड का अवलोकन किया तो पता चला कि अप्रार्थी सं0 1 ने मिन प्रार्थीगण के पिता के फर्जी हस्ताक्षर कर उक्त आराजी को अपने नाम कराया है। जिस पर मिन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 को उक्त तकासमा को मानने से मना कर दिया तो अप्रार्थी सं0 1 लडाई झगडा करने पर उतारू हो गया और कहा कि तुम सीखे हो जो कर लो जिस पर मिन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 94/2022 अन्तर्गत धारा 420, 467 आई पी सी में दिनांक 02/05/2022 को पुलिस थाना ततारपुर में दर्ज करायी। जिस प्रथम सूचना रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने प्रभातीराम व शुभराम के हस्ताक्षर नमूना को जांच के लिए एफ. एस. एल. भेजना चाहा है तब से अप्रार्थीगण उक्त आराजी को दीगर लोगो को बेचान करने पर उतारू हो रहा है क्योंकि अप्रार्थी सं0 1 को पता है कि उक्त एफ. एस. एल. जांच से पता चल जायेगा कि उक्त आराजी का तकासमा उसने फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करके कराया है। अप्रार्थी सं0 1 व 9 अब दिनांक 22.05.2024 को कुछ बाहर के लोगों को लेकर आराजी पर आया और उक्त बाहरी व्यक्तियों को मौका दिखाकर बता रहा था कि रास्ते से लगता हुआ हिस्सा हमारा है और आपके नाम उक्त भाग का बैयनामा करा देंगें कब्जा आप स्वयं ले लेना इस बात की जानकारी होने पर प्रार्थीगण मौके पर जाकर उन लोगों को बताया कि सडक से लगते हुए भाग में हमारा भी हिस्सा है तथा हम काबिज होकर बहामी बंटवारे

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

के अनुसार काश्त करते आ रहे है इस पर अप्रार्थी सं0 1 व बाहरी व्यक्तियों ने कहा कि हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं आप सफाई क्यों दे रहें हैं यह तो हम देखेंगें की किसका कहां कब्जा है और खरीद के बाद किसका होगा ये सब आगे की बातें हैं। अप्रार्थी सं0 1 आराजी मुतनाजा के सडक से लगते हुए विशिष्ठ भूखण्ड को बेचान करने व जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं बार बार प्रयास कर रहा है एवं एलानिया धमकी देता है कि मै उक्त आराजी का विक्रय कर सडक वाले भाग पर कब्जा करा दूंगा यदि अप्रार्थीगण अपने दुषित मनोभावों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण के बहुमूल्य अधिकारों पर कुठाराघात होगा अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयों में किया जाना नामुमकिन होगा। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये हु0ई0 दवामी के इस अमर से पाबंद किया जावे कि आराजी मुतनाजा को बिना विधिक विभाजन किसी विशिष्ठ भूभाग का बेचान ना करे ना ही प्रार्थीगण के हिस्से व स्थान से बेदखल करे, ना ही निर्माण करे प्रार्थीगण के हिस्से पर काश्त कार्य में बाधा ना डालें, तथा पूर्व में फर्जकारी से कराये गये बंटवारे को निरस्त फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो उक्त आराजी हाल ख0नं0 577/0.91 हे0, 585/0.24 हे0, 626/0.67 हे0, 642/0.52 हे0, 656/0.07हे0, 2406/608/0.32 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.73 हे0 व आराजी ख0नं0 623/0.47 हे0, 633/0.19 हे0, 661/0.23 हे0, 2402/566/0.10 हे0, 2404/576/0.39 हे0, 2408/608/0.59 हे0, 2410/631/0.47 हे0, 2412/654/0.76 हे0, 2413/675/0.09 हे0, 580/589/0.29 हे. कुल किता 11 कुल रकबा 4.09 हे0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर में स्थित आराजी मुतनाजा को बिना विभाजन किसी विशिष्ठ भू–भाग का बेचान ना करें, ना ही प्रार्थीगण के हिस्से व स्थान से बेदखल करें, ना ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करें, ना ही निर्माण करें, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें, तथा अप्रार्थी सं0 10 व 11 को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी से संबंधित कोई भी दस्तावेजात तस्दीक व पंजीबद्ध ना करें।

प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तथा वकील प्रार्थी को एकपक्षीय सुना जाकर दिनांक 30.5.24 को इस अमर का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया गया कि अप्रार्थीगण आराजी ख0न0 हाल 577/0.91 हे0, 585/0.24 हे0, 626/0.67 हे0, 642/0.52 हे0, 656/0.07हे0, 2406/608/0.32 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.73 हे0 व आराजी ख0नं0 623/0.47 हे0, 633/0.19 हे0, 661/0.23 हे0, 2402/566/0.10 हे0, 2404/576/0.39 हे0, 2408/608/0.59 हे0, 2410/631/0.47 हे0, 2412/654/0.76 हे0, 2413/675/ 0.

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

0.09 हे0, 580/589/0.29 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.09 हे0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर के किसी हिस्से विशेष, दिशा विशेष को अन्तरण नही करें। कोई दस्तावेज पंजीबद्ध नही करावें। प्रार्थीगण को उसके हिस्से आराजी से बेदखल नही करें। कब्जे काश्त उपभोग–उपयोग में मजाहमत पैदा नही करें। मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें, तथा वकील अप्रार्थीगण सं0 9 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की शामलाती आराजी नहीं है वाद में वर्णित आराजी का राजस्व कैंप में दिनांक 7.12.2004 को आपसी सहमति से विधिक बटवारा हो गया था, जिस बंटवारा में मिन अप्रार्थी सं0 9 के पिता मेहरचंद पुत्र मूला जाट के हिस्से ख0न0 577 रकबा 0.74 हे0, 2406/608 रकबा 0.32 हे0, 626 रकबा 0.67 हे0, 642 रकबा 0.52 हे0 646 रकबा 0.67 हे0 कुल किता 6 रकबा 2.73 हे0 हिस्से में आया था, तथा अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से आयी आराजी पर मकान बना रखें है तथा सिंचाई के लिए बोरिंग कर रखी है तथा अपने नाम से विधुत कनैक्शन ले रखा है प्रार्थीगण के पिता के कोई फर्जी हस्ताक्षर नही किये हैं बल्कि सहमति से आराजी का विधिक बंटवारा कराया गया था। प्रार्थी द्वारा एक फर्जी प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी थी जिस पर मुकामी पुलिस ने एफ.आर. लगा दी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त दावा गलत तथ्यों पर पेश किया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस पर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य सन 2004 में सहमति से एक बंटवारा नामा किया गया जिसमें प्रार्थीगण के पिता के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है तथा इस बंटवारे के आधार पर कीमती जगह पर अप्रार्थीगण कब्जा करना चाहते हैं फर्जकारी के संबंध में दर्ज करायी गई एफ.आई.आर. सं0 94 दिनाकं 2.5.22 के क्रम में पुलिस जांच रिपोर्ट में संलग्न शीशराम के बयान तथा शुभराम के पूछताछ नोट में भी बताया है कि प्रार्थीगण का पिता प्रभाती कैंप में उपस्थित नहीं था तथा उसके बंटवारेनामे पर हस्ताक्षर कराने के लिए किसी दूसरे आदमी को घर पर भेजा गया था। पुलिस जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न एफ. एस. एल. रिपोर्ट में भी प्रभाती के हस्ताक्षरों का मिलान नही होना बताया गया है। अतः फर्जी तरीके से समझौता करवाकर अप्रार्थीगण कीमती जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए अस्थायी निषेद्याज्ञा के जरिये अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुए पुनः विभाजन कराया जावे। प्रार्थी द्वारा पुलिस जांच संबंधी दस्तावेजों की प्रति पेश की।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि सभी पक्षकारों के मध्य 2004 में सहमति के आधार पर विभाजन हो चुका है। विभाजन के आधार पर ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, तथा सभी के खाते अलग–अलग हो चुके है। सभी

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

पक्षकार उसी अनुरूप कब्जा काश्त कर रहे हैं, तथा विभाजित खसरों के आधार पर ही कृषि ऋण लिए जा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा भी 2006 में , 2018 में कृषि ऋण लिए गए है। प्रार्थी ने अपनी बहस में भी विभाजित खसरों के आधार पर के.सी.सी. लेना स्वीकार किया है। पहले से विभाजित आराजी को पुनः विभाजन के लिए लाया गया दावा चलने योग्य नही है, तथा जो विभाजन किया गया है वह सभी की सहमति से किया गया है। सभी के हस्ताक्षर है। पुलिस रिपोर्ट से एवं एफ. एस एल. रिपोर्ट में भी हस्ताक्षरों का फर्जी होना साबित नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा दर्ज करायी गई एफ.आई.आर. में पुलिस द्वारा एफ.आर. पेश कर दी गई है। अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेद्याज्ञा प्राप्त की है। सभी पक्षकार समझौते के अनुसार किये गये बंटवारेनामें के अनुरूप काबिज काश्तकार हैं। अतः पूर्व में जारी अस्थायी निषेद्याज्ञा को खारिज किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। संलग्न दस्तावेजों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 07.12.2004 को पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी के संबंध में सहमति अनुसार बंटवारानामा किया गया है। जिस पर प्रार्थीगण के पिता प्रभाती तथा अन्य पक्षकारों के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। बंटवारेनामे में विवादित आराजी को पक्षकारों के मध्य विभाजित किया गया है। तथा बंटवारेनामें पर सभी पक्षकारों की सहमति होने का भी अंकन है। बंटवारानामा में आराजी को जिस रूप में विभाजित किया गया है उसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2071–73 में सभी पक्षकारों के पृथक–पृथक खाते बनाकर कायम किये गये हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवारेनामे पर अंकित प्रभाती के हस्ताक्षरों के संबंध में फर्जकारी संबंधी दर्ज की गई एफ.आई.आर. की प्रति के साथ संलग्न जांच के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुलिस द्वारा लिए गए शीशराम के बयान, शुभराम के पुछताछ नोट से यह तो स्पष्ट होता है कि प्रभाती कैम्प में उपस्थित नहीं था और किसी व्यक्ति को घर पर भेजकर हस्ताक्षर कराये गये थे परन्तु इससे यह स्पष्ट नही होता है कि प्रभाती द्वारा स्वयं हस्ताक्षर नहीं किये गये हों या उसके हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किये गये हों। इसी प्रकार संलग्न एफ.एस.एल. रिपोर्ट में भी हस्ताक्षरों के संबंध में कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया गया है। अतः उससे भी प्रभाती के हस्ताक्षर फर्जी होना साबित नहीं होता है। साथ ही उक्त एफ.आई.आर. में पुलिस द्वारा न्यायालय में एफ. आर. प्रस्तुत की गई है। जिससे भी बंटवारेनामे के संबंध में कराई गई एफ.आई.आर. /मुकदमा से फर्जी हस्ताक्षर होना साबित नहीं होता है।

इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा भी दौराने बहस इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि पक्षकारान के मध्य विभाजन पत्र प्रशासन गांव के संग कैम्पों के दौरान 2004 में तथा

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी द्वारा विभाजन अनुरूप कृषि ऋण (केसीसी लोन) लिए गये है। प्रार्थी द्वारा स्वीकार किये गये इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि विभाजन पूर्व में पक्षकारान की सहमति से ही हो चुका है तथा उसी अनुरूप पक्षकार काबिज हैं। बंटवारानामा दिनांक 2004 से 2024 तक की अवधि में प्रार्थीगण द्वारा बंटवारेनामे के संबंध मे ना तो कोई अपील की ना ही कोई दावा प्रस्तुत किया, ना ही किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत की गई। अतः इस अवधि में पक्षकारान का विभाजित खसरों पर सहमतिपूर्वक काबिज रहना भी स्पस्ट होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिकथन दलीलें एवं दस्तावेज प्रकरण को प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहें हैं। वहीं प्रस्तुत बंटवारानामा एवं राजस्व रिकार्ड तथा प्रार्थीगण द्वारा भी प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिकथनों से भी प्रकरण को अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया बखूबी साबित होता है। चूंकि पूर्व में विभाजित आराजी पर पक्षकारान बंटवारे अनुरूप काबिज एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के कारण सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति फिलहाल अप्रार्थीगण के पक्ष में है। चूंकि अप्रार्थी सं0 01 ल0 08, 10 व 11 की सम्यक तामील प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त करने से प्रतिवादीगण क हितों पर विपरीत प्रभाव पडने की संभावना नहीं है। इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.05.2024 को अपास्त किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

// निर्णय //

अतः आदेश है किः–प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट. बाबत आराजी ख0नं0 577/0.91 हे0, 585/0.24 हे0, 626/0.67 हे0, 642/0.52 हे0, 656/0.07हे0, 2406/608/0.32 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.73 हे0 व आराजी ख0नं0 623/0.47 हे0, 633/0.19 हे0, 661/0.23 हे0, 2402/566/0.10 हे0, 2404/576/0.39 हे0, 2408/608/0.59 हे0, 2410/631/0.47 हे0, 2412/654/0.76 हे0, 2413/675/0.09 हे0, 580/589/0.29 हे0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.09 हे0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0 प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.05.2024 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, संलग्न मूलवाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल– तिजारा)